न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

प्रार्थनापत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
09/2025	10.01.2025	17.06.2025

बउनवान

1. **छोटेलाल पुत्र झूथाराम जाति जाट निवासी शीतलपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।**

:— प्रार्थी

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।**

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि :—

1. यह है कि आराजी हाल ख० नम्बरान 36 रकबा 0.01 हैक0, 38 रकबा 0.01 हैक0, 39 रकबा 1.03 हैक0, 41 रकबा 1.99 हैक0, 37 रकबा 2.05 हैक०, वाके ग्राम पेहल तह० मुण्डावर व आराजी ख0न0 115 रकबा 0.20 हैक0, 91 रकबा 0.01 हैक0, 922 रकबा 0.26 हैक0, 122 रकबा 0.01 हैक0, 123 रकबा 0.51 हैक0, 61 रकबा 0.10 हैक0, 23 रकबा 0.50 हैक0, 71 रकबा 0.1 हैक0, 77 रकबा 0.64 हैक०, वाके ग्राम शीतलपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा में स्थित है। जो आराजी प्रार्थी के कब्जेकाश्त की आरजी है।
2. यह है कि उपरोक्त आराजी मिन प्रार्थी की पैत्रिक आराजी रही है, जो आराजी मिन प्रार्थी को जरियें विरास्त प्राप्त हुयी है। जिस पर मिन प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।
3. यह है कि मिन प्रार्थी का वास्तविक नाम छोटेलाल पुत्र झूथाराम है, जबकी राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिन प्रार्थी के नाम हाल जमाबन्दी मे अलग अलग छोटेलाल पुत्र झूथालाल व कही छोटूराम पुत्र झूथाराम व छोटिया पुत्र झूथिया दर्ज कर दिया जो नाम गलत है, जिसके स्थान पर मिन प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र झूथाराम है, जो नाम सही है, इसलिए उक्त गलत अंकन काबिले दुरूस्त है। जिसे दुरूस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

4. यह है कि मिन प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र झूथाराम है, जो नाम सही है तथा मिन प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में भी प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र झूथाराम ही दर्ज है, जैसें राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड में उपरोक्त नाम ही दर्ज है। जबकी राजस्व रिर्कोड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से मिन प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र झूथाराम व कही छोटूराम पुत्र झूथाराम, व छोटिया पुत्र झूथिया अलग अलग दर्ज कर दिया गया है, जबकी मिन प्रार्थी के परिवार मतें इस नाम का मिन प्रार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति जीवित या मृत्यु नहीं है, इसलिए उकत गलत इन्द्राज के राजस्व रिकॉड में दर्ज रहने से मिन प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है तथा मिन प्रार्थी को अपनी आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने में बाँधा पैदा हो रही है। जिसे दुरूस्त किया जावे।

5. यह है कि उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी मिन प्रार्थी को कतई नहीं रही है, परन्तु अब दिनांक 16/12/2024 को मिन प्रार्थी को राजस्व रिकॉड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से नकल प्राप्त की तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुयी, जिस पर मिन प्रार्थी ने राजस्व रिर्कोड की नकल प्राप्त कर, श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर से राजस्व रिर्कोड दुरूस्त करने बाबत निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार मुण्डावर ने राजस्व रिर्कोड दूरूस्त करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम अदालत से दुरूस्त करावो।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बरखिलाफ अप्रार्थी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि आराजी ख0 नम्बरान 36 रकबा 0.01 हैक0, 38 रकबा 0.01 हैक0, 39 रकबा 1.03 हैक0, 41 रकबा 1.99 हैक0, 37 रकबा 2.05 हैक०, वाके ग्राम पेहल तह० मुण्डावर व आराजी ख०न० 115 रकबा 0.20 हैक0, 91 रकबा 0.01 हैक0, 922 रकबा 0.26 हैक0, 122 रकबा 0.01 हैक0, 123 रकबा 0.51 हैक0, 61 रकबा 0.10 हैक0, 23 रकबा 0.50 हैक0, 71 रकबा 0.1 हैक0य 77 रकबा 0.64 हैक०, वाके ग्राम शीतलपुर तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजाराके राजस्व रिकॉड में दर्ज मिन प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र झूंथालाल व कही छोटूराम पुत्र झूथाराम, छोटिया पुत्र झूथिया अलग अलग के हजफ कर उसके स्थान पर छोटेलाल पुत्र झूथाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाकर राजस्व रिर्कोड दूरुस्त फरमाया जाने की कृपा करे।

अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई विधिवत रूप से तामिल होने उपरान्त अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत किया गया, जो निम्न प्रकार से है –:

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

1. मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2073–76 ग्राम पेहल आराजी खसरा संख्या 36 रकबा 0.01 है० (खाता संख्या 441) में छोटेलाल पुत्र झूथालाल हिस्सा 1/18 जाति–जाट सा. ढाणी रैनागिरी खातेदार, आराजी खसरा संख्या 38, 39, 41 किता 03 रकबा 3.03 है० (खाता संख्या 526) में छोटूराम पुत्र झूथालाल हिस्सा 1/6 जाति–जाट सा. ढाणी रैनागिरी खातेदार व आराजी खसरा संख्या 37 रकबा 2.05 है० (खाता संख्या 804) में में छोटेलाल पुत्र झूथालाल जाति–जाट सा. ढाणी रैनागिरी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।
2. मुताबिक संलग्न छायाप्रति जमाबन्दी संवत 2070–72 ग्राम पेहल आराजी खसरा संख्या 36, 37 कित्ता 02 रकबा 2.06 है० में छोटेलाल पुत्र झूथालाल व आराजी खसरा संख्या 38, 39, 41 किता 03 रकबा 3.03 है० में छोटूराम पुत्र झूथाराम दर्ज रिकॉर्ड है।
3. मुताबिक संलग्न प्रार्थना–पत्र दावा प्रार्थी का वास्तविक नाम छोटेलाल पुत्र झूथाराम होना अंकित है तथा प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में भी यही नाम करवाना चाहता है अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में छोटेलाल पुत्र झूथाराम करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन जमाबन्दी सम्वत 2073–76, बैक पास बुक, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड, शपथ पत्र छोटेलाल,, मौका पर्चा पार्षद पालिका मुण्डावर की प्रति पेश की।

प्रार्थी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी में प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र झूथालाल, छोटूराम पुत्र झूथाराम, छोटिया पुत्र झूथिया दर्ज है परन्तु प्रार्थी के दस्तोवजात में छोटेलाल पुत्र झूथाराम दर्ज है। जो सही है। जिसकी पुष्टि अप्रार्थी ने अपने जबाव में भी की है। इसलिए प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र झूथालाल, छोटूराम पुत्र झूथाराम, छोटिया पुत्र झूथिया को कलमजंन किया जाकर छोटेलाल पुत्र झूथाराम दर्ज किये जाने का श्रम करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तोवजात व प्रार्थी वकील की बहस पर मनन करने पर विवचेन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र झूथालाल, छोटूराम पुत्र झूथाराम, छोटिया पुत्र झूथिया ना होकर छोटेलाल पुत्र झूथालाल दर्ज है। उक्त नाम को दुरूस्त किये जाने बाबत अभिशाषा तहसीलदार मुण्डावर ने की है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त विवेचन के अनुसार यह न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आराजी ख0 नम्बरान 36 रकबा 0.01 हैक0, 38 रकबा 0.01 हैक0, 39 रकबा 1.03 हैक0, 41 रकबा 1.99 हैक0, 37 रकबा 2.05 हैक०, वाके ग्राम पेहल तह० मुण्डावर व आराजी ख०न० 115 रकबा 0.20 हैक0, 91 रकबा 0.01 हैक0, 922 रकबा 0.26 हैक0, 122 रकबा 0.01 हैक0, 123 रकबा 0.51 हैक0, 61 रकबा 0. 10 हैक0, 23 रकबा 0.50 हैक0, 71 रकबा 0.1 हैक0य 77 रकबा 0.64 हैक०, वाके ग्राम शीतलपुर तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा में दर्ज छोटेलाल पुत्र झूथालाल, छोटूराम पुत्र झूथाराम, छोटिया पत्रु झूथिया को कलमजन किया जाकर छोटेलाल पुत्र झूथाराम राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner